राजनीतिक

● क्या भारत के कुछ सहयोगी एनडीए में शामिल होंगे?

भारत के कुछ सहयोगी दलों के एनडीए में शामिल होने की उम्मीद है। डीएमके और उद्धव ठाकरे पर नज़र रखें? ममता बाहर से समर्थन दे सकती हैं।

● सोमवार को नीतीश कुमार ने मोदी से क्या कहा?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को दिल्ली में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। मोदी ने मुस्कुराते हुए नीतीश कुमार से पूछा, क्या आप भारत में शामिल नहीं होंगे? इस पर उनका जवाब था कि वे जीवन भर भारत में शामिल नहीं होंगे।

● क्या भाजपा ओडिया अस्मिता को प्राथमिकता देगी?

विधानसभा चुनाव प्रचार में भाजपा का मुख्य फोकस ओडिया अस्मिता पर था। अब लोग देखेंगे कि क्या भाजपा अपने पहले मुख्यमंत्री की नियुक्ति में अस्मिता मुद्दे को आगे बढ़ाती है?

● ओडिशा का पहला भाजपा मुख्यमंत्री कौन होगा?

ओडिशा में पहली बार बीजेपी सरकार बनने जा रही है। कई दलबदलू नेता कतार में हैं। राज्य बीजेपी अध्यक्ष मनमोहन सामल के सीएम बनने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी आलाकमान पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री प्रताप चंद्र सारंगी, विजयेंद्र पांडा और अपराजिता सारंगी में से किसी एक को सीएम बना सकता है। पांडा पहले बीजेडी नेता थे।

प्रशासनिक

● क्या सुमित्रा डावरा आंध्र प्रदेश वापस आएंगी?

भारत सरकार में श्रम सचिव सुमित्रा डावरा आंध्र प्रदेश में मुख्य सचिव के पद पर वापस आ सकती हैं। वह आंध्र प्रदेश कैडर की 1991 बैच की आईएएस अधिकारी हैं।

● ईडी ने 1,105 बैंक धोखाधड़ी मामलों की जांच की

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने लगभग 1,105 बैंक धोखाधड़ी मामलों की जांच की है, जिसके परिणामस्वरूप 2014 और 2023 के बीच 64,920 करोड़ रुपये की आपराधिक आय जब्त की गई।

● आईआरडीएआई के गैर-आजीवन सदस्य के लिए साक्षात्कार 10 जून को

सरकार ने बीमा नियामक प्राधिकरणआईआरडीएआई, हैदराबाद में गैर-जीवन सदस्य के पद के लिए पाँच उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया है। उम्मीदवारों में नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के सीएमडी राजेश्वरी सिंह, आईआरडीएआई के कार्यकारी निदेशक रणदीप सिंह जगपाल, जीआईसी आरई के महाप्रबंधक एसके रथ और निजी क्षेत्र के बीमा उद्योग से दो अन्य उम्मीदवार शामिल हैं। वर्तमान गैर-जीवन सदस्य थॉमस एम देवासिया 22 महीने का कार्यकाल पूरा करने के बाद 12 जुलाई को सेवानिवृत्त होंगे। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता वाली वित्तीय क्षेत्र नियामक नियुक्ति खोज समिति आईआरडीएआई के लिए नए गैर-जीवन सदस्य का चयन करने के लिए 10 जून को साक्षात्कार आयोजित करेगी। गैर-जीवन के लिए एक नए सदस्य की नियुक्ति के बाद, आईआरडीएआई के पास अगले 2-3 वर्षों के लिए चार सदस्यों की एक पूरी टीम होगी।

● एसईईसी के माध्यम से एचसीएल के सीएमडी का चयन

सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड (पीईएसबी) ने खान मंत्रालय को खोज-सह-चयन समिति (एससीएससी) के माध्यम से एचसीएल के सीएमडी पद के लिए उम्मीदवार का चयन करने की सिफारिश की है।

● प्रेम कुमार झा मूल कैडर में वापस लौटे

खेल विभाग के संयुक्त सचिव प्रेम कुमार झा को व्यक्तिगत आधार पर उनके मूल कैडर में समय से पहले वापस भेज दिया गया है। वह ओडिशा कैडर के 1993 बैच के आईएएस अधिकारी हैं।

● वत्स सेहरा को डीसीआईटी, प्रधान सीसीआईटी, दिल्ली नियुक्त किया

प्रतिनियुक्ति से लौटने पर वत्स सेहरा को प्रिंसिपल सीसीआईटी, दिल्ली के कार्यालय में डीसीआईटी (ओएसडी) के रूप में नियुक्त किया गया है। वह एक आईआरएस-आईटी अधिकारी हैं।

● सुश्री रुचिका चौधरी गोविल को प्रधान सीसीआईटी, दिल्ली का मुख्य आयकर आयुक्त नियुक्त किया गया

प्रतिनियुक्ति से लौटने पर श्रीमती रुचिका चौधरी गोविल को प्रिंसिपल सीसीआईटी, दिल्ली के कार्यालय में सीसीआईटी (ओएसडी) के पद पर नियुक्त किया गया है। वह आईआरएस-आईटी अधिकारी हैं।

● भारत ने हथियारों को गलत हाथों में पड़ने से रोकने के लिए कदम उठाए

रक्षा मंत्रालय भारत में रक्षा उपकरणों के निर्माण पर अपनी निगरानी बढ़ा रहा है और निर्यात के लिए अंतिम उपयोगकर्ता प्रमाणन नियमों के सख्त पालन पर जोर दे रहा है। यह रक्षा उपकरणों के अनधिकृत हाथों में जाने की रिपोर्टों के प्रत्यक्ष जवाब में है। भारत के रक्षा क्षेत्र ने न केवल घरेलू उपयोग और अंतर्राष्ट्रीय निर्यात दोनों के लिए हथियारों और शस्त्रों के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि देखी है, बल्कि इसने निगरानी बढ़ाने के लिए सक्रिय कदम भी उठाए हैं। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2023-24 के अंत तक रक्षा क्षेत्र में 369 कंपनियों को 606 औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए हैं। मंत्रालय रक्षा कंपनियों के आयात के उपभोग पैटर्न की निगरानी के लिए एक आंतरिक पोर्टल स्थापित करने की योजना बना रहा है। यह विशेष रूप से विस्फोटक और प्राइमर जैसी महत्वपूर्ण वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करेगा।

● हरियाणा से अतिरिक्त सचिव स्तर पर कोई पैनल नहीं

हरियाणा कैडर के 1999 बैच के किसी भी आईएएस अधिकारी को भारत सरकार में अतिरिक्त सचिव या समकक्ष पद के लिए सूचीबद्ध नहीं किया गया है।

फीकी रही मोदी की यह विजय, जीत का मॉर्जिन उनसे ज्यादा भाजपा के दूसरे कई नेताओं का

लखनऊ

वाराणसी से 1.52 लाख वोटों से जीत कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनः संसद पहुंच गए लेकिन इस चुनाव में उनसे बड़ी जीत यूपी से उनकी पार्टी के सात नेताओं को मिली है। कैसरगंज से ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण सिंह 1,48,843 वोट के अंतर से जीते, जो मोदी को मिले वोट से करीब तीन हजार कम हैं।

यूपी में भाजपा के सात नेताओं ने मोदी से बड़ी जीत दर्ज की है। सबसे बड़ी जीत गौतमबुद्धनगर से डॉ. महेश शर्मा को मिली है। उनकी जीत का अंतर 5.59 लाख से भी ज्यादा वोटों का है। इसी तरह भाजपा की दूसरी सबसे बड़ी जीत गाजियाबाद के अतुल गर्ग को मिली। तीसरे नंबर पर बुलंदशहर के डॉ. भोला सिंह और चौथे नंबर पर मथुरा से हेमामालिनी रहीं। यहां तक कि हाथरस से अनूप प्रधान, आगरा से एसपी सिंह बघेल और पीलीभीत से जितिन प्रसाद की जीत का अंतर भी मोदी से ज्यादा रहा। एक लाख से ज्यादा वोटों के जीत के अंतर से संसद पहुंचने वालों में गोरखपुर से रवि किशन और झांसी से अनुराग शर्मा शामिल हैं।

प्रत्याशी	लोकसभा	जीत का अंतर
अतुल गर्ग	गाजियाबाद	3,33,178
डॉ. महेश शर्मा	गौतमबुद्धनगर	5,59,472
डॉ. भोला सिंह	बुलंदशहर	2,75,134
अनूप प्रधान	हाथरस	2,43,473
हेमामालिनी	मथुरा	2,72,599
एसपी सिंह बघेल	आगरा	2,31,831
जितिन प्रसाद	पीलीभीत	1,63,589

मोदी, राजनाथ समेत कई ने लगाई हैट्रिक, नौवीं बार जीत से चूकीं मेनका

- भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) केंद्र में न सिर्फ लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है बल्कि प्रदेश में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह समेत कई प्रमुख मंत्री व नेताओं ने जीत की हैट्रिक लगाई है। दूसरी तरफ भाजपा की सुल्तानपुर से प्रत्याशी मेनका गांधी जहां नौवीं बार जीत से चूक गईं तो कई अन्य नेता भी हैट्रिक की पिच पर पहुंचकर आउट हो गए। लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से 612970 वोट पाकर लगातार तीसरी बार चुनाव जीता। हालांकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष व इंडी गठबंधन के प्रत्याशी अजय राय ने उन्हें टक्कर दी। उन्हें 4.60 लाख वोट मिले। वहीं लखनऊ से रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने भी हैट्रिक लगाई है। उन्होंने 612709 वोट पाकर सपा के रविदास मेहरोत्रा को 135159 वोटों से हराया है। मथुरा से भाजपा प्रत्याशी हेमामालिनी ने तीसरी बार 510064 वोट पाकर हैट्रिक लगाई है। उन्होंने इंडी गठबंधन के मुकेश धनगर को 293407 वोटों से हराया है।

इसी क्रम में गौतमबुद्ध नगर से भाजपा प्रत्याशी डॉ. महेश शर्मा तीसरी बार बड़ी जीत हासिल करने में सफल रहे हैं। उन्होंने न सिर्फ 8.57 लाख से ज्यादा वोट पाए बल्कि सपा प्रत्याशी से उनकी जीत का अंतर भी काफी बड़ा 5.59 लाख का रहा है। केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी भी महाराजगंज से लगातार तीसरी बार (कुल 7वीं बार) सांसद बने।

योगी, रमापति राम के बूथों पर भाजपा अव्वल, कमलेश पर सदल पड़े भारी

गोरखपुर

लोकसभा चुनाव में वीआईपी बूथों पर कहीं-कहीं पक्ष में खूब वोट पड़े तो कोई अपने ही बूथ पर पार्टी के पक्ष में मतदान कराने में कामयाब नहीं हो पाया। मतगणना के दौरान वीआईपी के बूथों पर पड़े वोट के बारे में जानने को लेकर उत्सुक रहे।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ स्थित कन्या पूर्व माध्यमिक विद्यालय में मतदान किया था। इस बूथ पर 566 मतदाताओं ने मतदान किया था, जिसमें भाजपा प्रत्याशी रवि किशन को 425 मत, सपा प्रत्याशी काजल निषाद को 131 एवं बसपा प्रत्याशी जावेद सिमनानी को महज तीन मत प्राप्त हुए, जबकि यहां मुस्लिम मतदाताओं की संख्या भी अच्छी है। बांसगांव के प्रत्याशी कमलेश पासवान को अपने ही बूथ पर कम वोट मिले। सर्वोदय किसान इंटर कॉलेज कौराम में बूथ संख्या 75 पर कमलेश ने मतदान किया था। यहां भाजपा को 164 मत, बसपा 150 मत और कांग्रेस के सदल प्रसाद को 336 मत प्राप्त हुए। उधर, संतकबीरनगर के खजनी विधान सभा क्षेत्र में पूर्व सांसद रमापति राम त्रिपाठी का गांव जुड़िया है। इसके बूथ संख्या 38 पर 358 मतदाताओं ने मतदान किया था। यहां भाजपा प्रत्याशी प्रवीण निषाद को 243 मत, सपा प्रत्याशी लक्ष्मी कांत उर्फ पप्पू निषाद को 90 मत एवं बसपा प्रत्याशी को नदीम अशरफ छह मत प्राप्त हुए। गोरखपुर क्षेत्र की गोरखपुर ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के बूथ संख्या 291 पर एमएलसी धर्मेंद्र सिंह ने मतदान किया। इस बूथ पर 511 मतदाताओं ने मतदान किया, जिसमें भाजपा प्रत्याशी रवि किशन को 355 मत, सपा प्रत्याशी काजल निषाद को 144 मत एवं बसपा प्रत्याशी जावेद सिमनानी को छह मत प्राप्त हुए।

एक-दूसरे का साथ खूब भाया योगी और बच्चों को

गोरखपुर। मुख्यमंत्री एवं गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को लखनऊ रवाना होने से पहले प्रातःकाल गोरखनाथ मंदिर परिसर में नन्हे-मुन्ने बच्चों के साथ समय बिताया। सीएम योगी को बच्चों का और बच्चों को मुख्यमंत्री का साथ खूब भाया। मुख्यमंत्री काफी देर बच्चों से आत्मीय अंदाज में संवाद करते रहे और सभी को चॉकलेट और खूब आशीर्वाद दिया। उन्होंने एक बच्चे को खीर खिलाकर उसका अन्नप्राशन भी कराया।

सीएम योगी 31 मई से ही अनवरत गोरखनाथ मंदिर प्रवास कर रहे थे। सोमवार को वह दोपहर में लखनऊ रवाना हो गए। इससे पहले सोमवार प्रातःकाल उनकी दिनचर्या रोज की ही तरह रही। उन्होंने सबसे पहले गुरु गोरखनाथ का दर्शन पूजन किया। फिर अपने गुरुदेव ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ की समाधि स्थल पर जाकर उन्हें नमन किया। मंदिर परिसर का भ्रमण करते हुए सीएम गोशाला पहुंचे और गोवंश को गुड़-रोटी खिलाकर उनकी सेवा की।

मंदिर परिसर में भ्रमण के दौरान ही मुख्यमंत्री की नजर परिजनों के साथ आए बच्चों पर पड़ी तो उन्होंने सबको अपने पास बुला लिया।

तारों को भूमिगत केबलों से बदलते समय बिजली कनेक्शन बाधित नहीं किया जा सकता : हाईकोर्ट

प्रयागराज

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि वैध विद्युत कनेक्शन को केवल इसलिए अनिश्चित काल तक बाधित नहीं किया जा सकता क्योंकि ओवरहेड तारों को भूमिगत केबलों से बदला जाना है।

मुरादाबाद में स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत सड़कों को चौड़ा करते समय, प्रतिवादी अधिकारियों ने कई ओवरहेड तारों को हटा दिया था। जिससे याचिकाकर्ताओं की दुकानों में बिजली की आपूर्ति बाधित हो गई थी। इसके अलावा, स्टेशन रोड पर स्थित एक इमारत का एक हिस्सा, जहाँ दुकानें स्थित थी, को अधिकारियों द्वारा ध्वस्त कर दिया गया था और मलबा वहीं छोड़ दिया गया था।

याचिकाकर्ताओं ने अपनी बिजली आपूर्ति बहाल करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। विपक्षी अधिकारियों ने दलील दी कि याचिका कर्ताओं और उनके मकान मालिकों द्वारा दायर मुकदमों में कोर्ट से निषेधाज्ञा के कारण, अधिकारियों द्वारा भूमिगत केबल बिछाने का काम पूरा नहीं किया जा सका। याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि निषेधाज्ञा भवन के एक हिस्से को ध्वस्त करने से सम्बंधित थी, जो बिजली आपूर्ति बहाल करने में बाधक नहीं है।

बिजली विभाग के वकील ने कहा कि नगर निगम द्वारा मलबा नहीं हटाए जाने के कारण बिजली आपूर्ति बहाल नहीं हो सकी। उन्होंने कहा कि जैसे ही नगर निगम मलबा हटाएगा, बिजली आपूर्ति बहाल हो जाएगी। न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेन्द्र की पीठ ने कहा इस निर्विवाद तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ताओं के पास वैध बिजली कनेक्शन था और बिजली आपूर्ति को डिस्कनेक्ट करने का एकमात्र कारण यह था कि ओवरहेड तारों को भूमिगत केबलों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना था, हमारा मानना है कि उक्त आधार अनिश्चित समय के लिए वैध बहाना नहीं हो सकता। नगर निगम और बिजली विभाग कानूनी रूप से बाध्य हैं कि वे एक साथ काम करें और मलबे को हटा दें और वैध उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति बहाल करें।

तदनुसार, न्यायालय ने नगर निगम और विद्युत विभाग को आपस में समन्वय स्थापित कर 48 घंटे के भीतर याचिकाकर्ताओं का विद्युत कनेक्शन बहाल करने का निर्देश दिया है।

कार्यालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग भोपाल म.प्र. क्रमांक-1

जावक क्रमांक-765
परिवाद क्र.-576/2023
पेशी दिनाँक 23/08/2024

अनिल श्रीवास्तव....................परिवादी
विरुद्ध
अजय सिंह राजपूत.....अनावेदक/विपक्षी

प्रति,
1. अजय सिंह राजपूत आ. श्री अभय सिंह आयु वयस्क,निवासी-बी-04,संजय काम्प्लेक्स फेस-1 माता मंदिर भोपाल म.प्र.
2. अरुण चौहान आ. स्व. बी.एस. चौहान, आयु वयस्क निवासी-म.नं. 19,20, अभि रेसीडेंसी नियर दुर्गा मंदिर नीलबड़, भोपाल म.प्र.

श्री अनिल श्रीवास्तव ने आपके विरूद्ध उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 35 के अंतर्गत, परिवादपत्र दायर किया है। आप इस आयोग में पेशी दि. 23.08.2024 को प्रातः 11:00 बजे स्वयं/अधिकृत व्यक्ति /अपने अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर परिवाद पत्र एवं दस्तावेजों की प्रति प्राप्त कर परिवाद का उत्तर पेश करें, जिन पर आप अपनी प्रति रक्षा के लिए निर्भर रहना चाहते हैं। आपको सूचित किया जाता है कि, यदि आप स्वयं या अपने अधिवक्ता द्वारा नियत दिनांक एवं समय पर उपस्थित नहीं होते हैं। या उपस्थित होकर अपने मामले का कथन पेश नहीं करते हैं, तो परिवाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जावेगा।

आज दिनांक 03.06.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं पीठ की मुद्रा लगाकर जारी किया गया।

अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग भोपाल म.प्र. क्रमांक-1

714

In The Court Of III Additional Judge To I Additional Motor Accident ClaimsTribunal, District Court, Bhopal
Presiding Officer: अजय नील करोठिया
(आदेश 5 नियम 20 व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत प्रकाशन हेतु)
(MACC/0002589/2022)
हरि सिंह राजपूत....वादी VS
ओतार सिंह यादव....प्रतिवादी
Process ID-/2024 पेशी दि. 15/07/2024

प्रेषिती-1. अनिल पिता ओतार सिंह यादव पता-तिगरा थाना अरोन जिला गुना। यह कि प्रार्थी हरि सिंह राजपूत ने आपके विरुद्ध आवेदन अंतर्गत धारा 166 मोटरयान अधिनियम 1988 के लिए वाद संस्थित किया है, आपको इस न्यायालय में सूचना के प्रकाशन के 30 दिवस के भीतर वाद का उत्तर देने के लिये उपसंजात/हाजिर होने के लिये सम्मन किया जाता है, आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर (अधिवक्ता) द्वारा उपसंजात हो सकते है, जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हो और जो इस वाद में संबंधित सभी सारवान कथनों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन प्रस्तुत करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में है पेश करें जिन पर आपका प्रतिरक्षा या मूजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित हो, और यदि आप अन्य किसी दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो अपनी प्रतिरक्षा या मुजरा के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते है तो ऐसी सभी दस्तावेज की लिखित कथन के साथ उपलब्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्टि करें। आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप उपर बताई गई अवधि में इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होंगे तो वाद की एक पक्षीय सुनवाई कर उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा। साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप निराकरण मध्यस्थ के माध्यम से करने के इच्छुक हैं तो पीठासीन अधिकारी को अवगत करावें। यह आज तारीख 06 May 2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दिया गया है। **कृपया ध्यान दें** : 1. यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को न्यायालय अवकाश पर रहेगा तो अगामी कार्यदिवस पर यह प्रकरण सुनवाई में लिया जायेगा।

अजय नील करोठिया, न्यायाधीश प्रथम जिला न्यायाधीश के तृतीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश भोपाल म.प्र.

722

In The Court Of XVI Additional Motor Accident Claims Tribunal, District Court, Bhopal
Presiding Officer संदीप कुमार श्रीवास्तव
(आदेश 5 नियम 20 व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत प्रकाशन हेतु)
(MACC/0003030/2022)
हरि सिंह....वादी VS रमेश चंद लववंशी...प्रतिवादी
Process ID-/2024 पेशी दि. 22/07/2024

प्रेषिती-1. ललित पिता रामनारायण लोधा लववंशी पता- ग्राम नयापुरा भोजपुर थाना भोजपुर जिला राजगढ़ म.प्र.। यह कि प्रार्थी हरी सिंह ने आपके विरूद्ध आवेदन अंतर्गत धारा 166 मोटरयान अधिनियम 1988 के लिए बाद संस्थित किया है, आपको इस न्यायालय में सूचना के प्रकाशन के 30 दिवस के भीतर वाद का उत्तर देने के लिये उपसंजात /हाजिर होने के लये सम्मन किया जाता है, आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर (अधिवक्ता) द्वारा उपसंजात हो सकते है, जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हो और जो इस बाद में संबंधित सभी सारवान कथनों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन प्रस्तुत करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में है पेश करें जिन पर आपका प्रतिरक्षा या मूजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित हो, और यदि आप अन्य किसी दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो अपनी प्रतिरक्षा या मुजरा के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते है तो ऐसी सभी दस्तावेज की लिखित कथन के साथ उपलब्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्टि करें। आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप उपर बताई गई अवधि में इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होंगे तो वाद की एक पक्षीय सुनवाई कर उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा। साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप निराकरण मध्यस्थ के माध्यम से करने के इच्छुक हैं तो पीठासीन अधिकारी को अवगत करावें। यह आज तारीख 02 May 2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दिया गया है। **कृपया ध्यान दें**: 1. यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को न्यायालय अवकाश पर रहेगा तो अगामी कार्यदिवस पर यह प्रकरण सुनवाई में लिया जायेगा।

संदीप कुमार श्रीवास्तव, न्यायाधीश सोलहवें अति.मो.दुर्घटना, दावा अधिकरण भोपाल म.प्र.

721

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार श्री योगेश डोहारे पुत्र श्री लक्ष्मण डोहारे आयु वयस्क ने विक्रेता 1. श्री अविनाश दाबोरिया पुत्र श्री जय नारायण आयु वयस्क, 2. स्वदेश बाला पत्नी श्री अविनाश दाबोरिया आयु वयस्क के स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य मालिकाना हक का मकान क्रमांक 208, सीनियर एच.आई.जी. ए टाईप, फेस-5 पार्ट-1 अयोध्या नगर नगर निगम कालोनी के अंदर भोपाल म.प्र. में स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल 1601.08 वर्गफिट अर्थात 148.80 वर्गमीटर है, जिसकी निम्नलिखित चौहद्दी इस प्रकार है- पूर्व में रोड, पश्चिम में ई.डब्ल्यू.एस. मकान, उत्तर में सीनियर एच.आई.जी. ए-207, दक्षिण में रोड। उक्त मकान क्रय करने के संबंध में विक्रेता से अनुबंध कर बयाना राशि अदा कर दिया गया है, उक्त मकान के संबंध में किसी भी बैंक, संस्था, व्यक्ति, शासकीय, अशासकीय, वित्तीय संस्था का कोई स्वत्व, हित या रहन आदि हो तो उक्त संबंध में इस सूचना प्रकाशन के 07 (सात) दिवस के अंदर स्वत्व संबंधित मय दस्तावेज सहित मेरे कार्यालयीन समय में मेरे कार्यालय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें। उक्त अवधि पश्चात मेरे पक्षकार द्वारा उक्त भूमि को अंतिम रूप से क्रय कर मकान के स्वामी से अपने पक्ष में विक्रय पत्र का निष्पादन करवा लिया जावेगा और निर्धारित अवधि पश्चात कोई भी आपत्ति मेरे पक्षकार पर बंधनकारी व मान्य नहीं होगी।

यशवंत मालवीय (अधिवक्ता)
कार्या. दुकान नं. 10 आई.एस.बी.टी परिसर भोपाल मो. नं. 9827020394

720

न्यायालय नायब तहसीलदार बैरागढ़ चीचली वृत्त तहसील कोलार भोपाल म.प्र.
आर.एस./444/0760/8494/24
प्रकरण क्र.

इश्तहार

आवेदक ललित नारायण आ./पत्नी विहारी सिंह निवासी 74 राजहर्ष कालोनी भोपाल द्वारा ग्राम- स्थित खसरा नंबर/प्लाट नंबर 77/1/1, 77/1/2 व अन्य क्षेत्रफल 111.52 व.मी. पर विक्रय पत्र/फौती/वसीयतनामा के आधार पर नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। अतएव आवेदक के उपरोक्त आवेदन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था को आपत्ति हो तो इस इश्तहार के जारी होने के दिनांक 21.06.2024 के भीतर इस न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। समयावधि पश्चात आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 5.6.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

अतिरिक्त तहसीलदार
तहसील कोलार, जिला भोपाल

716

न्यायालय तहसीलदार नजूल संत हिरदाराम नगर (बैरागढ़) वृत्त जिला भोपाल (म.प्र.)
(पुराना जिला पंचायत भवन जिला भोपाल)
0415/अ-6/24-25
क्र./नजूल/बैरा.वृत्त/2022 भोपाल दि. 5/6/24

इश्तहार

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक अ. मजीद आ. शकूर साहब निवासी शहर भोपाल ने नामान्तरण करने विषयक आवेदन पत्र प्रस्तुत कर ग्राम कोहेफिजा तहसील हुजूर भोपाल स्थित भूमि खसरा क्रमांक 52 रकबा 3150 वर्ग भूमि का नामांतरण करने का निवेदन किया है, जिसका प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधीन है। आवेदित भूमि वर्तमान राजस्व अभिलेख में रईसा बेगम के नाम भूमि स्वामी स्वत्व पर दर्ज है। अतः उपरोक्त प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में विधिक कार्यवाही किए जाने पर यदि किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस के भीतर स्वयं अथवा मान्यता प्राप्त अभिकर्ता के माध्यम से अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, तत्पश्चात प्राप्त आपत्ति ग्राह्य योग्य नहीं होगी। यह सूचना पत्र आज दिनांक 5.6.24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा से जारी।

तहसीलदार
नजूल संत हिरदाराम नगर
वृत्त बैरागढ, भोपाल

717

न्यायालय नायब तहसीलदार तहसील कोलार भोपाल म.प्र.
प्रकरण क्रमांक/अ-27/24-25
ग्राम का नाम- अकबरपुर
तहसील कोलार भोपाल

इश्तहार

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक 1. श्रीमती किरण वर्मा पत्नी श्री पी.के. वर्मा, 2. जी.बी. बिसले आ. श्री जी. जॉन बिसले, 3. श्रीमती निवेदिता गंनावा पत्नी श्री रमेश गंनावा, 4. श्रीमती भूमिका वासनिक पत्नी श्री डी.के. वासनिक निवासी भोपाल (म.प्र.) द्वारा ग्राम अकबरपुर में स्थित भूमि खसरा नंबर 64/1/1 रकबा 0.1315 हे. में से 0.0720 हे. भूमि का बंटवारा किए जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। अतः उपरोक्त बंटवारा किए जाने के संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति/संस्था आदि को किसी प्रकार की आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति/दावा स्वयं या अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से प्रकरण की सुनवाई तिथि 20.6.2024 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है। समयावधि पश्चात किसी प्रकार की आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 5.6.24 को मेरे हस्ताक्षर व पद मुद्रा से जारी किया गया।

नायब तहसीलदार
तहसील कोलार,भोपाल

718

कार्यालय : प्रशासक नीरजा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित भोपाल
पंजी. क्र. डीआरबी/349, दि. 16.5.1983
कैम्प- कार्यालय उपायुक्त, सहकारिता, डी ब्लाक पुराना सचिवालय भोपाल
क्र./प्रशा.2024/क्यू-1 भोपाल दि. 5.6.2024

सूचना

नीरजा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल के संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु सदस्यों के आधार कार्ड/वोटर आई.डी./ड्राईविंग लायसेंस का नम्बर एवं मोबाईल नंबर मतदाता सूची में अंकित कर म.प्र. राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी को भेजी जाना है। संस्था के सदस्य उपरोक्त में से कोई भी एक आई.डी. एवं मोबाईल नंबर कार्यालय उपायुक्त, सहकारिता, डी- ब्लाक पुराना सचिवालय भोपाल में समय दोपहर 2 से 4 बजे तक दिनांक 13.06.2023 के पूर्व प्रस्तुत करें अथवा मोबाईल नंबर 8319395397 पर वॉटसएप करें।

संगीता मीना,
प्रशासक

719

आपका राशिफल 06 जून

मेष (चू चे चो ला ली लू ले लो अ)
लेन-देन में स्पष्टता बनाये रखें। घर के सदस्य मदद करेंगे और साथ ही आर्थिक बदहाली से भी मुक्ति मिलने लगेगी। कोई प्रिय वस्तु अथवा नवीन वस्त्राभूषण प्राप्त होंगे। व्यापार व व्यवसाय में स्थिति उत्तम रहेगी। पदोन्नति की संभावना है। राजकीय कार्यों से लाभ। पैतृक सम्पत्ति से लाभ। शुभांक-7-8-9

वृष (इ उ ए ओ वा वी वू वे वो)
आज की सुविधा कल नहीं मिल पायेगी, लाभ उठाएं। मित्रों से सावधान रहें तो ज्यादा उत्तम है। व्यापार में स्थिति नरम रहेगी। संतोष रखने से सफलता मिलेगी। नौकरी में स्थिति सामान्य ही रहेगी। चल-अचल सम्पत्ति में वृद्धि होगी। शैक्षणिक क्षेत्र में उदासीनता रहेगी। स्वास्थ्य पर ध्यान दें। शुभांक-2-5-7

मिथुन (का की कू घ ङ छ के को हा)
अपना कार्य दूसरों के सहयोग से बना लेंगे। मित्रों की उपेक्षा करना ठीक नहीं रहेगा। नौकरी के क्षेत्र में कुछ उलझनें रहेंगी। प्रतिष्ठा में वृद्धि व शिक्षा में परेशानी आ सकती है। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। व्यापार में वृद्धि होगी। शत्रुपक्ष पर आप हावी रहेंगे। मेहमानों का आगमन होगा। शुभांक 6 7 9

कर्क (ही हू हे हो डा डी डू डे डो)
श्रेष्ठजनों की सहानुभूति मिलेगी। कारोबारी यात्रा सफल होगी। अच्छे कार्य के लिए रास्ते बना लेंगे। बुद्धि, बल व पराक्रम सफल होगा। व्यापार में वृद्धि व लाभ मिलेगा। कार्यक्षेत्र में संतोषजनक सफलता मिलेगी। आर्थिक हित के काम को साधने में मदद मिल जाएगी। शुभांक-1-4-6

सिंह (मा मी मू मे मो टा टी टू टे)
अपने काम को प्राथमिकता से करें। धार्मिक आस्थाएं फलीभूत होंगी। लाभ होगा और पुराने मित्रों से समागम भी होगा। अपने काम पर पैनी नजर रखिए। स्वभाव में सौम्यता आपकी मदद करेगी। जीवन साथी से संबंधों में मिठास बढ़ेगी। परिस्थिति सभी का सहयोग मिलेगा। शुभांक-5-7-9

कन्या (टो पा पी पू ष ण ठ पे पो)
समय नकारात्मक परिणाम देने वाला बन रहा है। दिमाग में निर्मूल तर्क पैदा होंगे। पर प्रपंच में ना पड़कर अपने काम पर ध्यान दीजिए। नौकरी में सावधानीपूर्वक कार्य करें। विरोधियों के सक्रिय होने की संभावना है। कारोबारी यात्रा को फिलहाल टालें। कारोबारी काम में बाधा बनी रहेगी। स्वास्थ्य नरम रहेगा। शुभांक-5-7-9

तुला (रा री रू रे रो ता ती तू ते)
जो चल रहा है उसे सावधानीपूर्वक संभालें। मायूस न हो समय चक्र है। कारोबारी काम में बाधा उभरने से मानसिक अशांति बनी रहेगी। शत्रुभय, चिंता, संतान को कष्ट, अपव्यय के कारण बनेंगे। कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ने में रुकावट का एहसास होगा। पारिवारिक परेशानी बढ़ेगी। धन के लेन-देन में सतर्क रहें। शुभांक-2-5-7

वृश्चिक (तो ना नी नू ने नो या यी यू)
परिवार में मांगलिक कार्यों का आयोजन होगा। वैवाहिक जीवन में प्रेम-प्रीति बढ़ेगी। जीवन साथी से संबंधों में मिठास बढ़ेगी। राजकीय सम्मान प्राप्त होने के योग हैं। शांतिपूर्वक कार्य करें, जान है तो जहान है अतः वाहन आदि चलाने में सावधानी बरतें। अपना कार्य स्वयं करें, किसी के भरोसे न रहें। शुभांक-1-5-9

धनु (ये यो भा भी भू धा फा ढा भे)
मेल मिलाप भविष्य में लाभदायक सिद्ध होगा। स्वयं पर विश्वास कार्यों की सिद्धि है। घर तथा व्यवसाय को एक दूसरे से दूर ही रखें। व्यापारिक संबंधों में प्रगति के योग हैं। कार्य स्थल पर नियमपूर्वक व्यवहार लाभकारी होगा। कोई प्रिय वस्तु अथवा नवीन वस्त्राभूषण प्राप्त होंगे। शुभांक-3-5-7

मकर (भो जा जी खी खू खे खो गा गी)
धन के लेन-देन में सतर्क रहें। बातचीत में संयम बरतें। मन में चंचलता बढ़ेगी। भावुकतावश निर्णय न लें। कर्ज देने से बचें। मानसिक व्यथा व संतान के कारण परेशानी होगी। कला क्षेत्र के जातकों को मेहनत के बाद सफलता मिलेगी। कारोबारी यात्रा को फिलहाल टालें। शुभांक-4-6-8

कुंभ (गू गे गो सा सी सू से सो दा)
सरकारी पक्ष से पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल रहेगा। स्वास्थ्य पर ध्यान दें। आर्थिक मजबूती हेतु मन केन्द्रित होगा। मिल रहे अवसरों का लाभ उठाएं। आर्थिक योजनाएं फलित होंगी। स्त्री, संतान, मित्र के साथ मनोविनोद बढ़ेंगे। बकाया धन की प्राप्ति के योग हैं। शुभांक-4-7-8

मीन (दी दू थ झ ञ दे दो चा ची)
उत्साह में वृद्धि होगी। आलस्य का त्याग करें। नये आय के स्रोत बनेंगे। पद-प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए कुछ सामाजिक कार्य संपन्न होंगे। पसंदीदा भोज्य पदार्थों की प्राप्ति होगी। लम्बे प्रवास व चुनौती पूर्ण कार्यों का सामना हो सकता है। व्यवसायिक क्षेत्र में आपकी मेहनत व लगन की परीक्षा होगी। शुभांक-1-4-6